

प्रपत्र— 2.5

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी—सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 4.340 हे० वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वनभूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह०/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

अभिषासी अभियन्ता
जि० कि०, कपकोट
००१२२२

ह०/—
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

ह०/—
जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
बागेश्वर
20/06/12

वन प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन प्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग
(कपकोट)

नोट:— यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।